सं. 27017/3/2014-स्था.(क)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिनांक : 16 दिसम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय :-सेवानिवृति के बाद पेंशनभोगी को वाणिज्यिक रोजगार की अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया - फॉर्म 25 में संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 19 नवम्बर, 2014 के समसंख्यक का.ज्ञा. 27012/3/2014-स्था.(क) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि इस विषय में दिनांक 15 सितम्बर, 2015 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा सीसीएस पेंशन नियमावली, 1972 में कुछ संशोधन किए गए हैं। तदनुसार उपर्युक्त दिनांक 19 नवम्बर, 2014 के का.ज्ञा. द्वारा सेवानिवृति के पश्चात वाणिज्यिक रोजगार के लिए नियत फार्म 25 में पुन:संशोधन किया गया है। नवीनतम संशोधित फार्म 25 संलग्न है।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों को इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाने का अनुरोध किया जाता है।

संलग्न :- यथोपरि

मु. कुमार
(मुकेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23092112

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार)

<u>प्रति निम्नलिखित को भी प्रेषित :</u>

1. महासचिव/महापंजीयक, भारत का उच्चतम न्यायालय।
2. महासचिव, लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय।
3. सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, सरदार पटेल भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली।
4. सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/ प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली
6. महालेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय।
7. सभी राज्यों के राज्यपाल/सभी संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपाल।
8. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री (पीपी), नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
9. सचिव, जेसीएम (कर्मचारी पक्ष) की राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली ।
10. संयुक्त परामर्शदायी तंत्र कर्मचारी पक्ष की राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सभी सदस्य ।
11. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग/पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग/लोक उद्यम चयन बोर्ड के सभी अधिकारी/प्रभाग/अनुभाग।
12. निदेशक, एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - विभाग की वेबसाइट पर **का.ज्ञा. एवं आदेश - स्थापना - सेवानिवृति के बाद वाणिज्यिक रोजगार** के तहत अपलोड करने के लिए
13. अतिरिक्त प्रतियां (10)

मु. कुमार

(मुकेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रपत्र 25
संशोधित

सेवानिवृत्ति की एक वर्ष की अवधि के भीतर केन्द्रीय सेवा अधिकारियों द्वारा व्यावसायिक रोजगार स्वीकार करने हेतु अनुमति के लिए आवेदन का प्रपत्र

{सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 का नियम 10(1)}

क. अधिकारी का ब्यौरा

1.	पेंशनभोगी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
2.	सेवानिवृत्ति की तारीख	
3.	मंत्रालय/विभाग/कार्यालयों का ब्यौरा जहां पेंशनभोगी ने सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम पांच वर्षों (अवधि सहित) तक कार्य किया था	
4.	सेवानिवृत्ति के समय धारित पद तथा धारण करने की अवधि	
5.	सेवानिवृत्ति के समय अधिकारी द्वारा आहरित किया जाने वाला वेतन तथा पद का वेतनमान/वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन	
6.	पेंशन संबंधी लाभ (क) मंजूरी प्राप्त/संभावित कुल मासिक पेंशन (ख) संराशीकरण, यदि कोई हो (ग) उपदान, यदि कोई हो	

ख. प्रस्तावित रोजगार का ब्यौरा

7.	प्रस्तावित वाणिज्यिक रोजगार का ब्यौरा :- (क)(i) संगठन का नाम (फर्म अथवा कंपनी अथवा सहकारी समिति आदि) (ii) संगठन का संक्षिप्त ब्यौरा (iii) संगठन के पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता (iv) स्थायी खाता संख्या (पैन नंबर) अथवा कर पहचान संख्या (एकाउंट आईडेंटिफिकेशन नंबर) अथवा संगठन की पंजीकरण संख्या (रजिस्ट्रेशन नंबर) (ख) कम्पनी द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले उत्पाद/कम्पनी द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय का प्रकार इत्यादि (ग) क्या उस अधिकारी का अपने सेवा काल के अंतिम तीन वर्षों के दौरान उस कंपनी अथवा फर्म या सहकारी समिति आदि के साथ किसी प्रकार का कार्य व्यवहार रहा है (घ) फर्म से अधिकारिक संबंध रखने की अवधि तथा प्रकृति (ड.) पेशकश किए गए कार्य/पद का नाम (च) क्या पद के लिए विज्ञापन दिया गया था, यदि नहीं, तो किस प्रकार पेशकश किया गया था (अखबार में विज्ञापन की कटिंग तथा नियुक्ति की पेशकश की प्रति संलग्न करें, यदि कोई हो) (छ) पद/कार्य के कर्तव्यों का ब्यौरा पद/कार्य के लिए प्रस्तावित पारिश्रमिक, (ज) यदि प्रैक्टिस प्रारंभ करने का प्रस्ताव है तो बताएं : (i) प्रैक्टिस के क्षेत्र में व्यावसायिक योग्यता (ii) प्रस्तावित प्रैक्टिस की प्रकृति	
8.	कोई अन्य सूचना, जो आवेदक अपने अनुरोध के समर्थन में देना चाहता है	

"घोषणा:

9. मैं यह घोषित करता हूं कि -

(क) मैं अपने सेवाकाल के अंतिम तीन वर्षों के दौरान किसी संवेदनशील अथवा गुप्त जानकारी से संबद्ध नहीं रहा हूं जो उस संगठन के कार्य अथवा हित से संबंधित क्षेत्र, जहां मैं कार्यभार ग्रहण करने का प्रस्ताव करता हूं अथवा उन क्षेत्रों से संबंधित हो, जिनमें मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं या परामर्शदाता बनना चाहता हूं।

(ख) प्रस्तावित रोजगार से मेरे सेवाकाल के अंतिम तीन वर्षों के दौरान अवधारित पद की नीतियों से हितों का किसी प्रकार का टकराव नहीं होगा, जिस संगठन में मैं कार्यभार ग्रहण करने का प्रस्ताव करता हूं उसके हितों से या किए गए कार्यों से सरकारी कार्यकरण से मेरा कोई टकराव नहीं होगा।

(ग) जिस संगठन में मैं रोजगार प्राप्त करना चाहता हूं वह ऐसी गतिविधियों में संलग्न नहीं है जिसका भारत के विदेशी संबंधों, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा देश के सद्भाव से टकराव हो या उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यह संगठन कोई ऐसी गतिविधि नहीं चला रहा है जो आसूचना एकत्र करने से संबंधित हो। संगठन में मेरे प्रस्तावित रोजगार में ऐसी गतिविधियां सम्मिलित नहीं होंगी, जिनसे भारत के विदेशी संबंधों, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा देश के सद्भाव से किसी प्रकार का टकराव हो या उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

(घ) मेरा सेवा का रिकार्ड विशेषतः निष्ठा तथा गैर सरकारी संगठनों से कार्य व्यवहार के संबंध में साफ सुथरा है।

(ड़) प्रस्तावित परिलब्धियां तथा आर्थिक लाभ उद्योग मानकों के अनुरूप हैं।

(च) मैं, सरकार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति की जाने की स्थिति में वाणिज्यिक रोजगार छोड़ने की सहमति देता हूं।

वचनबंध

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि उपरोक्त सूचनाएं मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य हैं और कोई तथ्यात्मक जानकारी छुपाई नहीं गई है। कोई भी सूचना मिथ्या पाए जाने की स्थिति में कोई कारण बताए बिना तथा सरकार द्वारा उचित समझी जाने पर की जाने वाली कार्रवाई, जिसमें केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 तथा दांडिक कार्रवाई भी सम्मिलित है, पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुमति वापस ली जा सकती है।

दिनांक:.................. आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:.....................

आवेदक का पता:"